न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –09/2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016/00120

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

1. इन्द्रसिंह आत्मज बनवारी
2. बचनसिंह आत्मज बनवारी
3. फतहसिंह आत्मज बनवारी
4. रूपन सिंह आत्मज बनवारी
5. सन्तोष पुत्री बनवारी
6. रूकमण पुत्री बनवारी
7. फूला पत्नी बनवारी

कन्जर निवासी जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

––अप्रार्थी.

जिला कलक्टर कोटा राजस्थान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत्

उपस्थित–

1. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 13 /05/2024

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थीगण को ग्राम हरिपुरा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 10,11,362,363 किता–4 की रकबा 0.61 हे0, भूमि दिनांक 01.05.1977 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया किया गया । नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने पर भी अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से दिनांक 14.2.2017 को अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई । पेरोकार सरकार उपस्थित । पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी ।
3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थीगण ग्राम हरिपुरा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 10,11,362,363 किता–4 की रकबा 0.61 हे0, भूमि दिनांक 01.05.1977 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त हीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । अप्रार्थीगण नोटिस जारी

जिला कलेक्टर
कोटा

करने उपरान्त भी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से जाहिर होता है कि उनके द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की जा रही है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

4. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थीगण को ग्राम हरिपुरा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 10,11,362,363 किता–4 की रकबा 0.61 हे0, भूमि दिनांक 01.05.1977 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से तथा आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल प्राप्त होने उपरान्त कोई उपस्थित नहीं होने से यह जाहिर होता है कि आवंटी द्वारा उनको आंवटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है ।

5. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम हरिपुरा तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 10,11, 362, 363 किता–4 की रकबा 0.61 हे0, भूमि दिनांक 01.05.1977 को किया गया कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।

6. निर्णय आज दिनांक 13.5.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा